सं. 31011/1/2020-स्था.(क.IV)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
(स्थापना क-IV डेस्क)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
दिनांक : 7 जनवरी, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय- एलटीसी के उद्देश्य से बुक किए गए हवाई/रेल टिकटों के लिए रद्दीकरण/पुनर्निर्धारण शुल्क की प्रतिपूर्ति और कोविड-19 महामारी के कारण एलटीसी अग्रिम में छूट- के संबंध में।

मार्च-मई, 2020 के महीनों के दौरान, मौजूदा कोविड-19 महामारी को देखते हुए देश भर में एक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू किया गया था। इस अवधि के दौरान, भारत के भीतर सभी घरेलू उड़ानें रद्द कर दी गई थीं, लेकिन कुछ एयरलाइनों ने पहले से बुक किए गए हवाई टिकटों के लिए रद्दीकरण शुल्क लिया है। ऐसी स्थिति में, कई सरकारी कर्मचारियों को, जिन्होंने उस अवधि के लिए अग्रिम रूप से एलटीसी टिकट बुक किए थे, एयरलाइनों द्वारा वसूली जाने वाली उच्च रद्दीकरण राशि के मद्देनजर, वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में, इस विभाग में रद्दीकरण शुल्कों की प्रतिपूर्ति के लिए एक-बार छूट देने के लिए अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं।

2. यह भी देखा गया है कि कई एयरलाइनों ने लॉकडाउन अवधि के दौरान निर्धारित एलटीसी यात्रा के लिए अग्रिम में बुक किए गए हवाई टिकटों के लिए टिकट राशि वापस नहीं की है। इन एयरलाइनों ने बुकिंग राशि को 'क्रेडिट शेल' के रूप में अपने पास रख लिया है और यात्रियों को एक वर्ष के भीतर यात्रा करने का विकल्प दिया है। इससे सरकारी कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यदि यात्रा नहीं की जाती है तो दंडात्मक ब्याज के साथ एलटीसी अग्रिम को वापस जमा करना आवश्यक होता है। इस संबंध में एलटीसी अग्रिम के निपटान के लिए समय-सीमा बढ़ाने और उनके द्वारा यात्रा किए जाने तक दंडात्मक ब्याज में छूट देने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

3. इस मामले पर इस विभाग में व्यय विभाग के परामर्श से विचार किया गया है और निम्नलिखित निर्णयों से अवगत कराया जाता है :-

(i) मंत्रालयों/विभागों को ऐसे सरकारी सेवकों को, जिन्होंने 24 मार्च, 2020 से 31 मई, 2020 तक लॉकडाउन अवधि के दौरान एलटीसी यात्रा के उद्देश्य से अग्रिम हवाई/रेल टिकट बुक किए थे, लेकिन उस अवधि के दौरान उड़ानों/रेलगाड़ियों के रद्दीकरण/पुनर्निर्धारण के कारण यात्रा नहीं कर पाए थे, एक-बार की छूट के रूप में, हवाई/रेल टिकटों के रद्दीकरण/पुनर्निर्धारण प्रभारों की प्रतिपूर्ति करने की शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है। रद्दीकरण/पुनर्निर्धारण प्रभारों की प्रतिपूर्ति की मांग करने वाले सरकारी सेवकों को अपने द्वारा खर्च किए गए रद्दीकरण/पुनर्निर्धारण प्रभारों की रसीद प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

(ii) ऐसे मामलों में, जहां एयरलाइनों ने रिफंड की राशि को 'क्रेडिट शेल' में रखा है, मंत्रालय/विभाग लॉकडाउन अवधि (मार्च-मई, 2020) के दौरान निर्धारित एलटीसी यात्रा के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा लिए गए एलटीसी अग्रिम के पुनर्भुगतान की अवधि को 28.02.2021 तक या ऐसे समय जब एलटीसी यात्रा करने के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा 'क्रेडिट शेल' की राशि का उपयोग किया जाता है तक, जो भी पहले हो, बढ़ा सकते हैं। साथ ही, लॉकडाउन अवधि के दौरान निर्धारित एलटीसी यात्रा पर सरकारी कर्मचारी द्वारा ली गई एलटीसी अग्रिम-राशि पर दंडात्मक ब्याज नहीं लिया जा सकता है।

(iii) ऐसे मामलों में जहां सरकारी कर्मचारियों ने एलटीसी यात्रा करने के लिए एलटीसी अग्रिम के साथ-साथ छुट्टी-नकदीकरण भी आहरित किया है, लेकिन लॉकडाउन अवधि के दौरान वे यात्रा नहीं कर सके और अब व्यय विभाग के दिनांक 12.10.2020 के का.ज्ञा.सं.12(2)/2020-ई-II (क) के अनुसार, एलटीसी के बदले विशेष नकद पैकेज योजना का विकल्प चुनने का इरादा रखते हैं, उन्हें भी इस योजना की सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति है। एलटीसी-अग्रिम और छुट्टी-नकदीकरण को, जो यात्रा नहीं हो पाने के कारण समायोजित नहीं किया जा सका है, विशेष नकद पैकेज योजना के प्रावधानों के अनुसार समायोजित किया जा सकता है।

(सतीश कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सचिव,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(मानक सूची के अनुसार)

प्रतिः-

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
4. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
5. संसदीय पुस्तकालय, नई दिल्ली।
6. सभी संघ शासित प्रशासन।
7. लोक सभा सचिवालय/ राज्य सभा सचिवालय।
8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अधीन सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।